बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।

15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना– 800001

आवश्यक सूचना

वि॰सं॰ 01/2019, सहायक अभियन्ता (असैनिक) के पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 11.02.2021 को आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर सूची प्रदर्शित एवं समाचार पत्रों के माध्यम से आवश्यक सूचना दी गई थी, जिसमें कतिपय अभ्यर्थियों से **शैक्षणिक प्रमाण पत्र, बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग संबंधित प्रमाण पत्र) तथा जिनके प्रमाण पत्र अपठनीय, अस्पष्ट हो अथवा पिता के नाम से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र नहीं भेजे है वो भी पुनः स्पष्ट, पठनीय एवं पिता के नाम से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र** दिनांक 22.02.2021 तक आयोग कार्यालय को भेजना था, परंतु अनेक अभ्यर्थियों द्वारा अभी तक उक्त प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय को नहीं भेजा गया है।

उक्त पद से संबंधित विज्ञापन के अंतर्गत कतिपय आवेदकों के आवेदन की हार्डकॉपी आयोग कार्यालय में अप्राप्त है (सूची आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रदर्शित है)। ऐसे आवेदकों को पुनः सूचित किया जाता है कि अगर उन्होंने आयोग द्वारा निर्धारित तिथि के अंतर्गत हार्डकॉपी प्रेषित किया हो तो इस संबंध में साक्ष्य (निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट की छायाप्रति) संलग्न करते हुए निर्धारित प्रारूप में भरकर आयोग के E-Mail ID-bpscpat-bih@nic.in पर दिनांक 15.04.2021 तक निश्चित रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

2. वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन की हार्डकॉपी आयोग कार्यालय भेजा है परंतु हार्डकॉपी के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया है (आयोग के वेबसाईट पर प्रदर्शित)। उन्हें पुनः एक अवसर प्रदान करते हुए वांछित कागजात भेजने की अंतिम तिथि दिनांक 15.04.2021 निर्धारित की गयी है।

3. वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन की हार्डकॉपी के साथ सभी वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किये है **(उपरोक्त वर्णित) वो दिनांक 15.04.2021 को अपराह्न 5.00 बजे तक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आयोग कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।**

नोटः– वैसे अभ्यर्थी जो हार्डकॉपी के साथ वांछित सभी प्रमाण पत्र संलग्न कर आयोग कार्यालय में भेज चुके हैं उन्हें पुनः आवेदन (हार्डकॉपी) भेजने की आवश्यकता नहीं है।

निर्धारित तिथि (15.04.2021) तक साक्ष्य के आधार पर जाँचोपरांत सही पाये जाने की स्थिति में उनके द्वारा पूर्व में प्रेषित आवेदन की हार्डकॉपी (प्राप्त होने की स्थिति में) के आधार पर विज्ञापन में निहित्त शर्तो के आलोक में नियमानुसार अग्रतर कारवाई की जायेगी। वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में बाद में किसी प्रकार का अनुरोध/दावा स्वीकार्य नहीं होगा तथा ऐसे आवेदकों की उम्मीदवारी रद्द किए जाने के सम्बन्ध में आयोग के स्तर पर निर्णय लिया जायेगा। इस सूचना के पश्चात् कोई अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

31.3.21

संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना